राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : जुलाई 03, 2017

सं. एफ. 12(46)एफडी/टैक्स/2017–30 :– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 12(46)एफडी/टैक्स/2017–30 दिनांक 22.06.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

राज्यपाल के आदेश से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, जून 22, 2017

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 1 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, 22 जून, 2017 को उस तारीख के रुप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 और 164 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[एफ.सं. 12(46)एफडी/टैक्स/2017–30]
राज्यपाल के आदेश से,
ह०
(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी. में साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का असाधारण गजट के भाग 4(ग) में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस अधिसूचना की 20 प्रति इस विभाग को तथा 20 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया उपलब्ध सी.डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदया।
3. सचिव, भारत सरकार एवं सचिव, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल सचिवालय, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव